



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936

No. 128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

फा. सं. 15/1/2014- ई-IV.—केंद्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 91 की उप-धारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार की तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में तुंगभद्रा बोर्ड की संरचना से संबंधित अधिसूचना सं. डी डब्ल्यू VI-4(9), तारीख 10 मार्च, 1955 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में—

(i) पैरा 1 में “सदस्य” शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“सदस्य

(2) मुख्य इंजीनियर (सिंचाई), आंध्र प्रदेश सरकार ;

(3) मुख्य इंजीनियर (सिंचाई), तेलंगाना सरकार ;

(4) सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार ;

(5) वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।” ;

(ii) 'आंध्र' शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना' शब्द रखे जाएंगे।

3. यह आदेश, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) के अधीन अधिसूचित नियत दिन से प्रवृत्त होगा।

अजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग I, खंड 1 में संख्या डी डब्ल्यू IV-4(9), तारीख 10 मार्च, 1955 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 19/4/76-डी डब्ल्यू आई/पी- IV/पी-II तारीख 12/9/1984 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

ORDER

New Delhi, the 28th May, 2014

F. No. 15/1/2014-E.IV.—In pursuance of sub-section (1) of section 91 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014(6 of 2014), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power notification No. D.W.VI-4(9), dated the 10th March, 1955 relating to composition of Tungabhadra Board, namely:—

2. In the said notification,-

(i) in paragraph 1, for the heading "Members" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"Members

- (2) Engineer-in-Chief (Irrigation), Government of Andhra Pradesh;
- (3) Engineer-in-Chief (Irrigation), Government of Telangana;
- (4) Secretary, Water Resources Department, Government of Karnataka;
- (5) Financial Advisor and Joint Secretary, Ministry of Water Resources, Government of India.";

(ii) for the word "Andhra" wherever it occurs, the words "Andhra Pradesh and Telangana" shall be substituted.

3. This order shall come into force from the appointed day notified under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014).

AJAY KUMAR, Under Secy.

Note :—The Principle notification was published in the Gazette of India, Part-I, Section-I *vide* No. DW VI-4(9), dated 10th March, 1955 and last amended by the Notification *vide* No. 19/4/76 D.W.I/P IV/P II dated, 12.09.1984.